

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन क्रमांक-03 मद्र टेरेसा नगर


क्र./लो.क.वि./जोन-3/2024/73

भिलाई, दिनांक 10/6/2024

//निविदा/रुचि की अभिव्यक्ति संशोधन सूचना//

नगर पालिक निगम भिलाई के निविदा सूचना लो.क.वि./जोन-03/न.नि./2024/758 दिनांक 15.03.2024 को निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र सबेरा संकेत एवं सुबह का पहरी में दिनांक 27.05.2024 एवं रुचि की अभिव्यक्ति समाचार पत्र हरिभूमि दिनांक 16.03.2024 को जारी किया गया था,। चुनाव आचार संहिता दिनांक 16.03.2024 से लागू होने के कारण आमंत्रित निविदा एवं रुचि की अभिव्यक्ति में आवेदन नहीं लिया गया है। अतः वर्तमान में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाने के पश्चात उक्त कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की तिथि निर्धारित की गई है। निविदा के शेष नियम/शर्तें यथावत रहेंगी।

क्र.	विवरण	वर्तमान निविदा तिथि
1	निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18.06.2024
2	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि	27.06.2024
3	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	28.06.2024

  
जोिन आयुक्त  
जोन क्रमांक-03  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

# नगर पालिक निगम-भिलाई

## कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, मदन टेरेंसा नगर, जौन क्र. 3 निविदा सूचना

क्र. लो.क.वि./स.नि./2024/758/498 भिलाई, दिनांक 15.03.2024  
आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत संक्षेप श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन/सड़क एस.ओ.आर. दिनांक 01.1.2015 एवं एस.ओ.आर. 01.6.2020 से लागू तथा नान एस.ओ.आर. पर एवं अद्यतन मंशोधन के आधार पर कम/अधिक पर निर्माणाखत कार्य हेतु महरबंद निविदा यीह पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, कार्य हेतु निविदा तिथि -

1. निविदा जारी करने की तिथि - दिनांक 15.03.2024
2. निविदा प्राप्ति की तिथि - दिनांक 08.04.2024, सायं. 5.30 बजे तक
3. निविदा खोले जाने की तिथि - दिनांक 09.04.2024
4. आवेदन की अंतिम तिथि - दिनांक 01.04.2024, सायं. 5.30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समया- वधि
1.	वार्ड क्र. 37 किशन चौक में सामुदायिक भवन का संभारण कार्य	10.00	7500.00	750.00	4 माह

उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा को सामान्य ज्ञान, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञापन, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालय अर्थात् कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है, साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाइट [www.bhilainagarnigam.com](http://www.bhilainagarnigam.com) अथवा मंत्रालय की वेबसाइट [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) and चिप की वेबसाइट [eproc.cgstate.gov.in](http://eproc.cgstate.gov.in) और [bhilai.urbanecg.gov.in](http://bhilai.urbanecg.gov.in) में देखी जा सकती है, धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में जौन आपूर्ति/कार्यालय अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना होगा तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी 3-पंजीयन, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, पैनकार्ड/आयकर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जीवित माल्यमि की छायाप्रति एवं नोटरी से जारी (100/- रु.) का प्रपत्र पत्र की मूलप्रति, निष्कर्ष के में प्रदान करना है एवं निविदा प्राप्त दर संबंधित निष्कर्ष 'ख' में प्रस्तुत करना होगा।  
सर्वप्रति म. भंडक की राशि निगम कोष में जमा कर विकास कार्यों में सर्वयोग हूने - जौन आयुक्त  
जस ही जौन है, जस को मरुपयोग की उसे व्यर्थ न बहाए। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई।

576

27-05-24

खबेरा सेकुं  
शुका हलदरी  
शाब्बरप

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

## रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रण सूचना

क्र. लोकायुक्त-जान-3/न वि./ 2024/751/107 भिलाई, दिनांक 13/03/2024

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जान क्रमांक 03 संवर्धी प्राण पं स्थित नगर आर अड्डाकर एवं समाज सांगालिक भवन का 2 वर्षीय क लिय संचालन प्रबंधन संस्थाओं पर लिय जान हत रुचि रखून चालन पंजीकृत संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर दर तीन लिफाफा पद्धति दिनांक 03.04.2024 सायं 5.30 बजे तक आमंत्रित किया जाना है।

संस्थाओं को आवेदन पत्र के साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन, आयकर प्रमाण पत्र, पत्र के साथ रु. 1500.00 नगद जमा कर कार्यालयीन समय में दिनांक 27.03.2024 से 5.30 बजे तक नियम / शर्तों की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उक्त कार्य हेतु ऑफर दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03.04.2024 सायं 5.30 बजे रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट माध्यम से प्राप्त की जावेगी। लिफाफा "अ" में धरोहर राशि के रूप में रु. 1,00,000.00 का एफ डी आर (जोन आयुक्त / कार्यपालन अभियंता) नगर पालिक निगम भिलाई के पंजी की संयुक्त नाम से देय हो) नोटरी से जारी (100/- रु.) का शपथ पत्र मूलाप्रति, पत्र कार्ड/जीएसटी की प्रति, आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र, सभी दस्तावेज हस्ताक्षरित तथा धरोहर राशि लिफाफा 'अ' में, लिफाफा 'ब' में दर तथा लिफाफा 'स' में लिफाफा अ एवं ब डालकर कर जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक से निर्धारित तिथि एवं समय में पहुंचाना होगा। सर्वप्रथम लिफाफा "अ" खोला जायेगा। सभी दस्तावेज निर्धारित शुल्क/धरोहर राशि प्राप्त होने के उपरान्त लिफाफा 'ब' वितीय ऑफर खोला जावेगा। प्राप्त दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहने पर नियम शर्त एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाइट [www.bhilainagarnigam.cc](http://www.bhilainagarnigam.cc) एवं संचालनालय की वेबसाइट [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) में देखी जा सकती है।

हरिभूमि 16/03/24

जान आयुक्त



## // नियम एवं शर्तें //

विषय:- जोन क0-3 संतोषी पारा में स्थित डॉ0 बी आर आम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को संचालन/प्रबंधन/संधारण में दिये जाने बाबत ।

उक्त विषयांतर्गत लेख है कि जोन क्रमांक - 03 संतोषी पारा में डॉ.बी आर आम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन निर्मात है उक्त भवन का संचालन तीनो पाली में चौकीदार, बिजली, पानी , साफ सफाई वार्षिक संधारण, नियमित आवश्यक संधारण कार्य आवश्यक है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ0ग0रायपुर के द्वारा डा0 बी आर अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन के नियम शर्तों के कंडिका 6 भवन का संचालन एवं संधारण की कंडिका (ब) में प्रावधानित किया गया है कि भवन के उपयोग हेतु दैनिक दरे नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित करने के उपरांत भवन के प्रबंधन/संचालन/संधारण के लिये निजी एजेंसी का चयन टेंडर आमंत्रित कर किया जा सकता है। इसके अतर्गत नगर निगम द्वारा दिसम्बर 2022 से दिसम्बर 2023 तक एजेसी द्वारा संचालन एवं संधारण किया गया है।

अतः शासन के द्वारा निर्धारित नियम शर्तों के परिपालन में मांगलिक भवन को मांगलिक /सांस्कृतिक/धार्मिक/ मृतक तथा अन्य ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिये जिसके लिए शासन से प्रतिबंध न हो, आगामी वर्ष के लिए 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक 2 वर्ष के लिये पुनः संचालन एवं संधारण हेतु एजेसी को दिये जाने दर आफर सूचना जारी किया गया प्रस्तावित है, भवन में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार है:-

**मुखण्ड का आकार :- 100X103 वर्ग मीटर (लगभग)**

निर्मित भवन क्षेत्रफल -	भूतल -	9000 वर्ग फुट
	प्रथम तल -	8000 वर्ग फुट
	डोम शेड -	6000 वर्ग फुट
	डोम शेड हेतु भवन -	1000 वर्ग फुट
प्रशासन युक्त कमरा	भूतल तल -	12 नग
	प्रथमतल -	13 नग
	रसोई घर -	01 नग
	स्टोर -	01 नग
डोम शेड के लिए कमरा	कमरा -	02 नग (प्रसाधन)
	उद्यान -	2200 वर्ग फुट
	पार्किंग -	अन्दर 29000 वर्ग फुट (लगभग)
		बाहर 6000 वर्ग फुट (लगभग)
	अहाता -	चारो तरफ पक्का आहाता

उक्त भवन को किराया पर देना है जो इच्छुक नागरिकों को निगम के निर्धारित दर पर किराये से दे सकते है । सामान्य नियम शर्तें निम्नानुसार है :-

## नियम शर्तें एजेंसी के लिए :-


1. भवन/परिसर अन्दर बाहर पर्याप्त प्रकाश, पंखा, एकजास्ट पंखा, पानी सफाई इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था एजेंसी को किया जाना होगा। पानी के लिये बोर की व्यवस्था है आवश्यकता होने पर एजेंसी नया बोर स्वयं के व्यय से करेगा।
2. कमरो में ठंडकता बनाये रखने स्थायी रूप से कम से कम कुलर की व्यवस्था करना होगा।
3. परिसर में स्थित उद्यान को हमेशा आकर्षक रखना होगा।
4. पार्किंग की व्यवस्था को सुचारु बनाये रखना होगा।
5. भवन /परिसर की समस्त प्रकार का नियमित संधारण/वार्षिक संधारण रंगरोगन इत्यादि कार्य एजेंसी को करना होगा।
6. भवन को 2 वर्ष हेतु किराये (लीज) पर दिया जावेगा, जिसमें निगम के शर्त पर अधिकतम किराया की राशि नगर निगम को देने वाली एजेंसी को दिया जावेगा। प्रथम वर्ष के पश्चात् द्वितीय में 10% की दर से बढ़ाकर किराया जमा करेगा।
7. किराया की वार्षिक अनुबंध की राशि कार्यादेश के समय 50% की राशि, अगले तिमाही में 25% एवं उसके अगले तिमाही में 25% की राशि जमा करना होगा। अन्यथा 18% की दर से अधिभार लगेगा एवं तृतीय माह तक जमा नहीं करने पर अनुबंध समाप्त कर जमा अमानत राशि को राजसात किया जावेगा।
8. अनुबंध समाप्त होने के 7 दिवस में भवन खाली करना होगा अन्यथा समस्त सामग्री निगम जप्त कर लेगी।
9. अनुबंध समाप्ति उपरान्त लगाये गये स्थायी व्यवस्था /प्रकाश व्यवस्था /पंखा /एकजास्ट पंखा /कूलर इत्यादि तथा उद्यान, मार्ग, पार्किंग में लगे स्थायी व्यवस्था को जिसे एजेंसी ने लगाया है उसे यथा स्थिति बनाये रखते हुए भवन खाली करेगा।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अस्थायी व्यवस्था में लगे सामग्री को ले जा सकेगा।
11. उल्लेखित व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यवस्था एजेंसी करना चाहती है, वह स्वतंत्र रहेगा।
12. उल्लेखित कार्यक्रम में उपभोक्ता द्वारा स्थायी व्यवस्था के अतिरिक्त किराया भण्डार /अतिरिक्त प्रकाश इत्यादि का कार्य अनुबंधित एजेंसी से कराया जाना अनिवार्य होगा एवं कंटेन्स का कार्य अनुबंधित एजेंसियों से या बाहर के किसी भी व्यक्ति से करा सकता है, यह बंधनकारी नहीं होगा।
13. गरीबी रेखा एवं अंत्योदय राशन कार्ड में सम्मिलित परिवार के लोगो के लिए कुछ हिस्सा आरक्षित कर उन्हें भवन की सुविधा का लाभ देने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना होगा।
  - भू-तल पर स्थित पश्चिम भाग के 4 कमरें तथा पार्किंग स्थल के कुछ हिस्से को पृथक से अंत्योदय परिवार को सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
  - "उक्त हिस्सा पहले आओं पहले पाओ" आधार पर पूर्व से आरक्षित कराये गए परिवार को निगम द्वारा निर्धारित किराए पर प्रतिदिन के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।
  - 4 कमरें एवं मैदान का किराया प्रतिदिन 5001/- रुपये होगा।
  - पूरे भवन की बुकिंग कराये जाने पर सामान्य लोगो के लिए निर्धारित किराए पर 20 प्रतिशत की छूट पर गरीबी रेखा अंत्योदय परिवार को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

14. उपभोक्ता के लिए भवन का किराया निम्नानुसार होगा :-

	परिसर	किराया राशि		
		एक दिवस	द्वितीय दिवस	द्वितीय दिवस के पश्चात प्रत्येक दिवस
1	सम्पूर्ण परिसर	60,000=00	40,000=00	30,000=00

उक्त किराया में द्वितीय वर्ष में 10% किराया वृद्धि किया जावेगा।

15. भवन परिसर में सी सी टी वी कैमरा नियुक्त एजेंसी द्वारा लगावाना अनिवार्य होगा।
16. भवन का किराया निगम द्वारा निर्धारित अनुसार उपभोक्ता से ले सकेगा। अन्य सजावटो/सामग्री /व्यवस्था के लिए उनकी आपसी सहमति पर आधारित रहेगा। उसमें निगम को कोई आपत्ति नहीं होगी।
17. उपभोक्ता से निर्धारित राशि में भी जीएसटी शामिल नहीं है उनसे भी पृथक से वसूली एजेंसी कर सकती है।
18. भवन का वार्षिक किराया राशि 22.00 लाख प्रावधान है जो एजेंसी इससे अधिक दरे आफर करेगा उसे संचालन संधारण प्रावधान दिये जाने नगर पालिक निगम निर्णय लेगी।
19. उपरोक्त दर के अतिरिक्त राशि रु. 10.00 लाख की सुरक्षित राशि जोन आयुक्त नगर निगम भिलाई एवं अनुबंधित एजेंसी के संयुक्त नाम पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर., दर स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर जमा करना होगा। स्वीकृति तिथि के पश्चात 01 सप्ताह अन्दर परिसर का अधिपत्य प्राप्त करना होगा।
20. भवन के अधिपत्य दिवस से परिसर में उपयोग किये जाने वाले विद्युत खपत की देयक की संपूर्ण राशि का भुगतान विद्युत मंडल में अनुबंधित एजेंसी करेगी। इस राशि में आफर दर के साथ जमा अमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
21. परिसर में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या गैर कानूनी कार्य नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो समस्त जवाबदारी एजेंसी की होगी। न्यायालयीन वाद /पुलिस कार्यवाही के लिये एजेंसी स्वयं जवाबदार होगी।
22. परिसर में शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
23. विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय मान्य होगा।
24. शासन द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन के लिए भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

  
जोन आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई